तत्काल

क्रमांकः– 41/16/2017–5पोल
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग

दिनांक चण्डीगढ 10 अगस्त, 2017.

सेवा में

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार/सभी प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष ।
3. हरियाणा राज्य के सभी मण्डलायुक्त ।
4. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।
5. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड /निगम ./प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक /प्रबन्धक निदेशक ।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा ।

विषयः– सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा तथा हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में कर्मचारियों की मांगों के बारे दिनांक 29.3.2017 को मुख्य मंत्री कैम्प आफिस, निवास स्थान सैक्टर–3 चडीगढ मे हुई बैठक में लिये गये निर्णय बारे ।

———

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा तथा केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आहवान पर हरियाणा के कुछ विभागों/बोर्डो/निगमों आदि में कुछ कर्मचारियों ने दिनांक 02.09.2015 तथा दिनांक 02.09.2016 को हड़ताल की थी । इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि विभिन्न विभागों/बोर्डो/निगमों इत्यादि के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 02.09.2015 तथा दिनांक 02.09.2016 को की गई दो दिन की हड़ताल अवधि को देय अवकाश माना जाए ।

2. आपसे अनुरोध है कि तदानुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जाएं ।

भवदीय,

अधीक्षक राजनैतिक
कृतेः मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार ।